भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1156
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के प्रबंधन हेतु विधान

1156. श्री ईश्वरस्वामी के. :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क): क्या जनसंख्या की दृष्टि से प्रमुख राज्यों में से अधिकांश में कोई पुस्तकालय संबंधी विधान नहीं है;

(ख): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग): सरकार द्वारा देश भर में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणालियों का पेशेवर प्रबंधन करने हेतु हाल के वर्षों में उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुस्तकालय' विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है और सार्वजनिक पुस्तकालय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं।

संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकाय, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (आरआरआरएलएफ), कोलकाता के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, निम्नलिखित 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुस्तकालय विधान पहले से ही लागू किया जा चुका है: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, हरियाणा, केरल, मिजोरम, गोवा, गुजरात, ओडिशा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना।

(ग): संस्कृति मंत्रालय अपने अधीन स्वायत्त संगठन, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (आरआरआरएलएफ), कोलकाता के माध्यम से अपनी विभिन्न अनुमोदित समतुल्य और गैर-समतुल्य स्कीमों के अंतर्गत देश भर में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल) स्कीम के अंतर्गत 'एनएमएल मॉडल पुस्तकालयों के स्थापना घटक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए छह पुस्तकालयों के अतिरिक्त, संबंधित राज्य प्राधिकरणों की अनुशंसा के अनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में 1 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय और 1 जिला पुस्तकालय को सहायता प्रदान करना शामिल है।

*****